कार्यालय– विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी (म0प्र0)

::: दाण्डिक कार्य विभाजन– विविध आदेश :::

(भाग–1)

क्रमांक/ 21 /सी0जे0एम0/2023 कटनी, दिनांक–08.04.2023

मैं, विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2022 के लिये पूर्व में जारी दाण्डिक कार्य विभाजन संबंधी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए वर्ष 2023 हेतु निम्नलिखित दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ:–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद		दाण्डिक कार्य विभाजन का विवरण
01.	विकास चौहान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी (म0प्र0)	1	**आरक्षी केंद्र माधवनगर, यातायात से उद्भूत समस्त दांडिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां** (उपरोक्त आरक्षी केंद्र से उद्भुत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		2	तहसील विजयराघवगढ को छोडकर जिला कटनी के अन्तर्गत नापतौल विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण, तेजाब फेंकने वाले समस्त प्रकरण, दुकान स्थापना अधिनियम 1916 के तहत प्रस्तुत प्रकरण, सिनेमेटोग्राफी एक्ट एवं कॉपीराईट एक्ट के तहत प्रकरण, ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के तहत उद्भूत प्रकरण एवं आबकारी विभाग से उद्भूत आबकारी विभाग के वृत्त कटनी क्र.–1, कटनी क्र.–2, कटनी क्र.–3 से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा यातायात, श्रम विभाग, खाद्य विभाग, एवं कारखाना विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी एवं नगर निगम कटनी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		3	कटनी जिले से उद्भूत **खनिज विभाग (विजयराघगढ, ढीमरखेडा एवं बरही तहसील को छोडकर)** द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)।
		4	धारा 410 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		5	क्षमादान से संबंधित आवेदन पत्र एवं जिले के बाहर के न्यायालयों से प्राप्त कमीशन के निष्पादन की कार्यवाहियां।
		6	संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न वे समस्त दाण्डिक/न्यायिक कार्य, जो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्य विभाजन आदेश में वर्णित नहीं है, उक्त सभी मामले।
		7	ऐसे प्रकरण जो अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय से इस न्यायालय को आहरित किये जाये या वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा इस न्यायालय को अंतरित किये जाये।
02.	सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र कुठला, कटनी** से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य समस्त पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियॉ। (उपरोक्त आरक्षी केंद्र से उद्भुत

			ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) एवं आबकारी विभाग से उदभूत ऐसे प्रकरण जो आबकारी वृत्त बहोरीबंद एवं स्लीमनाबाद से संबंधित हैं, सभी मामले व अनुषंगिक कार्यवाही ।
		2	**आरक्षी केन्द्र <u>कुठला, कटनी</u>** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता** के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		3	कटनी जिले से उद्भूत **वन विभाग (विजयराघगढ, ढीमरखेडा एवं बरही तहसील को छोडकर)** द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)।
		4	**आरक्षी केन्द्र <u>कुठला, कटनी</u>** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी हैं, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉ।
		5	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
03.	श्रीमती निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म0प्र0)	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **<u>आरक्षी केन्द्र बाकल</u> जिला कटनी** से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉ। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)।
		2	**<u>आरक्षी केन्द्र बाकल</u> जिला कटनी** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता** के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		3	**<u>आरक्षी केन्द्र बाकल</u>** (तहसील विजयराघवगढ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम को छोड़कर) **जिला कटनी** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉ।
		4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर जिला कटनी के **<u>आरक्षी केन्द्र कुठला, रंगनाथनगर, बडवारा, जी0आर0पी0, रीठी, बहोरीबंद, बाकल (ऐसे प्रकरण जो विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य न हो)</u>** में दर्ज होने वाले महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित अर्थात् ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध ही घटित हो सकते हैं, से संबंधित मामले एवं आरक्षी केंद्र **<u>अजाक (ऐसे प्रकरण जो विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य न हो)</u>** से उत्पन्न रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, परिवाद से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉ, साथ ही समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा **<u>156(3) दण्ड प्रकिया संहिता</u>** के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है एवं उपरोक्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रांतर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामले (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता के मामलों को छोड़कर)।
		5	**जिला कटनी के <u>आरक्षी केन्द्र कुठला, रंगनाथनगर, बडवारा, जी0आर0पी0, रीठी, बहोरीबंद एवं अजाक</u>** (विजयराघवगढ़ व

			ढ़ीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर) में दर्ज होने वाले महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित अर्थात् ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध ही घ टित हो सकते हैं, से संबंधित मामले से उत्पन्न पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉं।
		6	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
04.	**श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी(म0प्र0)**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **जिला कटनी के आरक्षी केन्द्र कोतवाली, एन0के0जे0, स्लीमनाबाद एवं माधवनगर** (विजयराघवगढ़ व ढ़ीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर) में दर्ज होने वाले महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित अर्थात् ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध ही घटित हो सकते हैं, से संबंधित मामले से उत्पन्न रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, परिवाद से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा/खारिजी आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉं, समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है, एवं उपरोक्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रांतर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामले (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता के मामलों को छोड़कर)।
		2	जिला कटनी के सभी पुलिस थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 125 लगायत 128 के अधीन भरण पोषण दिलाये जाने संबंधी आवेदन एवं दा. मुस्लिम वूमन अधिनियम 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम–2005 के अधीन प्रस्तुत आवेदन।
		3	**जिला कटनी के आरक्षी केन्द्र कोतवाली, एन0के0जे0, स्लीमनाबाद एवं माधवनगर** (विजयराघवगढ़ व ढ़ीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर) में दर्ज होने वाले महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित अर्थात् ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध ही घटित हो सकते हैं, से संबंधित मामले एवं **महिला थाना** से संबंधित मामलों से उत्पन्न पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉं।
		4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र महिला थाना** से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉं। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		5	आरक्षी केन्द्र **महिला थाना** के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3)** दण्ड प्रकिया संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		6	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
05.	**श्री नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म0प्र0)**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र कोतवाली (कटनी) एवं जी.आर.पी.** से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉं। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से

			उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		2	**आरक्षी केन्द्र <u>कोतवाली (कटनी) एवं जी.आर.पी.</u>** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉ।
		3	आरक्षी केन्द्र **<u>कोतवाली (कटनी) एवं जी.आर.पी.</u>** के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3)** दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
06.	**सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म0प्र0)**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **<u>आरक्षी केन्द्र बहोरीबंद</u>** से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉ। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		2	**<u>आरक्षी केन्द्र, बहोरीबंद</u>** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉ।
		3	आरक्षी केन्द्र **<u>बहोरीबंद</u>** के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3)** दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
07.	**श्री अरूण गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म0प्र0)**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **<u>आरक्षी केन्द्र रंगनाथनगर (कटनी)</u>** से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉ। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		2	**आरक्षी केन्द्र <u>रंगनाथनगर (कटनी)</u>** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉ।
		3	आरक्षी केन्द्र **<u>रंगनाथनगर (कटनी)</u>** के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3)** दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **<u>आरक्षी केन्द्र रंगनाथनगर (कटनी)</u>** से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉ। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)

		5	आरक्षी केंद्र **कोतवाली, माधवनगर, कुठला, रंगनाथनगर, एन.के.जे., जी.आर.पी., स्लीमनाबाद, रीठी, बडवारा, बहोरीबंद, बाकल,** जिला कटनी **(आरक्षी केंद्र विजयराघवगढ, कैमोर, ढीमरखेडा, उमरियापान एवं बरही से उद्भूत मामलों को छोडकर)** से उद्भूत **परकाम्य लिखत अधिनियम** के समस्त मामले।
		6	**धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के ऐसे मामले जो न्यायालय रिक्त हो गये है या किसी अन्य न्यायालय मे क्षेत्राधिकारिता नहीं है,** के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉ।
		7	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
08.	**श्री दिलीप कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म0प्र0)**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र स्लीमनाबाद** से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉ। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		2	**आरक्षी केन्द्र स्लीमनाबाद** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉ।
		3	आरक्षी केन्द्र **स्लीमनाबाद** के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3)** दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
09.	**श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म0प्र0)**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र एन.के.जे.** से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉ। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		2	**आरक्षी केन्द्र एन.के.जे.,** से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता** के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		3	**आरक्षी केन्द्र एन.के.जे.** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉ।
		4	जिला कटनी के समस्त आरक्षी केन्द्र **(विजयराघवगढ़, कैमोर, ढ़ीमरखेड़ा, बरही, उमरियापान को छोड़कर)** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है, के समस्त दांडिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियां।
		5	**आरक्षी केन्द्र बडवारा एवं जी0आर0पी0. वन विभाग एवं खनिज विभाग (विजयराघगढ, ढीमरखेडा एवं बरही तहसील**

			को छोडकर) एवं जिला कटनी के समस्त आरक्षी केन्द्रों (विजयराघवगढ़, कैमोर, ढीमरखेड़ा, बरही, उमरियापान को छोड़कर) के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले **स्वापक औषधियों एवं मन : प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995** जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम तीन वर्ष तक का है, के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉं।
		6	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
10.	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र रीठी** (तहसील विजयराघवगढ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम को छोड़कर) से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉं। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		2	**आरक्षी केन्द्र रीठी** (तहसील विजयराघवगढ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम को छोड़कर) के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, **जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता** के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		3	**आरक्षी केन्द्र रीठी** (तहसील विजयराघवगढ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम को छोड़कर) के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉं।
		4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
11.	श्रीमती सृष्टि शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
12.	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र बडवारा** (तहसील विजयराघवगढ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम को छोड़कर) से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉं। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		2	**आरक्षी केन्द्र बडवारा एवं माधवनगर** (तहसील विजयराघवगढ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम को छोड़कर) से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता** के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		3	**आरक्षी केन्द्र बडवारा एवं माधवनगर** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉं।
		4	**आरक्षी केन्द्र अजाक (उन मामलो को छोडकर जो माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है।)** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉं।

		5	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
13.	**श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरही, कटनी (म0प्र0)**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र बरही** (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गॉव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण / रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण,खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियॉ एवं घरेलू हिंसा अधिनियम व धारा 125 से 129 द.प्र.सं. एवं **आबकारी विमाग से उदभूत ऐसे प्रकरण जो आबकारी वृत्त बड़वारा** से संबंधित हैं, सभी मामले व अनुषंगिक कार्यवाही ।
		2	उपरोक्त **आरक्षी केन्द्र बरही** (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गॉव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता** के तहत उद्भूत मामले एवं परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत उद्भूत प्रकरणो एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियॉ व **उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित धारा 125 से 128 द.प्र.** सं.एवं उसकी अनुशंगिक कार्यवाहियों से संबंधित प्रकरण।
		3	आरक्षी केन्द्र बरही (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गॉव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त फरार हो चुका हो तथा जिनके प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो चुके है, उक्त सभी मामले।
		4	तहसील बरही (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गॉव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) **के अन्तर्गत वन विभाग एवं खनिज विभाग** द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		5	**आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ एवं कैमोर से उद्भूत (आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ एवं कैमोर से उद्भूत पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मामलों को छोडकर) के** धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत के कथन।
		6	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
14.	**श्री रमाकांत मारके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ढीमरखेडा, कटनी (म0प्र0)**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र ढीमरखेडा एवं उमरियापान** से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा एवं **आबकारी विभाग से उदभूत ऐसे प्रकरण जो आबकारी वृत्त ढीमरखेड़ा एवं उमरियापान** से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा/खारिजी आवेदन एवं अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियॉ।
		2	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र ढीमरखेडा एवं उमरियापान के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा **156(3) दण्ड प्रकिया संहिता** के तहत उद्भूत (तहसील विजयराघ वगढ क **कैमोर** ` अन्तर्गत आने वाले ग्राम) मामले एवं परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत उद्भूत प्रकरणो एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियॉ व **उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित धारा 125 से 128 द.प्र.** सं.एवं उसकी अनुशंगिक कार्यवाहियों से संबंधित प्रकरण।
		3	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **ढीमरखेडा एवं उमरियापान** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त **फरार** हो चुका हो तथा प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो चुके है, उक्त सभी मामले।

		4	तहसील ढीमरखेडा **के अन्तर्गत वन विभाग एवं खनिज विभाग** द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं अन्य आनुशांगिक कार्यवाही।
		5	मुख्य न्यायिक **कैमोर** मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
15.	**श्रीमति संजू तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयराघवगढ़, कटनी (म0प्र0)**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ** से उद्भूत समस्त दाण्डिक प्रकरण, मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉ। (उपरोक्त आरक्षी केंद्र से उद्भुत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		2	**तहसील विजयराघवगढ** के अन्तर्गत नापतौल विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण, तेजाब फेंकने वाले समस्त प्रकरण, दुकान स्थापना अधिनियम 1916 के तहत प्रस्तुत प्रकरण, सिनेमेटोग्राफी एक्ट एवं कॉपीराईट एक्ट के तहत प्रकरण, ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट, 1945 के तहत उद्भूत प्रकरण एवं **आबकारी विभाग से उद्भूत ऐसे प्रकरण जो आबकारी वृत्त विजयराघवगढ़ एवं कैमोर** से संबंधित श्रम विभाग तथा खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		3	तहसील **विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		4	मान्नीय उच्च न्यायालय के ज्ञा.क्र.–डी/350/तीन–6–6/84 दिनांक 09.01.14 के अनुक्रम में एवं मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी के विविध आदेश क्र. क्यू/एस.डब्लू./दो 2–2/02, दिनांक 26/12/14 के परिपालन में जिला कटनी के आरक्षी केन्द्र **विजयराघवगढ़, कैमोर,** बरही (तहसील विजयराघवगढ के अन्तर्गत आनेवाले ग्राम), बड़वारा (तहसील विजयराघवगढ क **कैमोर** के अन्तर्गत आने वाले ग्राम) में दर्ज होने वाले महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित अर्थात् महिलाओं के साथ घटित होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों से संबंधित मामले से उत्पन्न उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, परिवाद से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा/खारिजी आवेदन एवं कार्यवाहियॉं, साथ ही समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		5	आरक्षी केन्द्र **विजयराघवगढ एवं आरक्षी केन्द्र बरही के वे गॉव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, **आरक्षी केन्द्र बडवारा के वे 16 गॉव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते है, से उदभूत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण ।**
		6	उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट परिवाद, तथा उनके साथ प्रस्तुत होने वाले धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन परक्राम्य लिखत अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम एवं धारा 125 से 129 दण्ड प्रक्रियासंहिता के अन्तर्गत उद्भूत सभी मामले एवं **आरक्षी केन्द्र कैमोर विजयराघवगढ एवं आरक्षी केन्द्र बरही के वे गॉव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं एवं आरक्षी केन्द्र बडवारा के वे 16 गॉव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत** पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले में, जिसमें अभियुक्त फरार हो चुका हो तथा प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो चुके है, उक्त सभी मामले।

		7	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
		8	**आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ एवं कैमोर से उद्भूत पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मामलों के** धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत के कथन।
16.	**श्री अनुपम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयराघवगढ़, कटनी (म0प्र0)**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र कैमोर** से उद्भूत समस्त दाण्डिक प्रकरण, मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियॉ। (उपरोक्त आरक्षी केंद्र से उद्भुत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)
		2	**आरक्षी केन्द्र कैमोर** (आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ़, ढीमरखेडा, उमरियापान एवं बरही को छोड़कर) से उद्भूत **परकाम्य लिखत अधिनियम** के सभी मामले।
		3	आरक्षी केन्द्र **कैमोर** के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें **धारा 156(3)** दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		4	**आरक्षी केन्द्र कैमोर** के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियॉ।
		5	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।

उपरोक्त आदेश मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर अनुमोदन हेतु प्रेषित हो।
उपरोक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

सामान्य नोट :–

1. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मागदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी को संदर्भित किया जावे।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व उनकी अनुपस्थिति में भाग–एक के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किया जावेगा।
4. किसी न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य क्र. 4, 5, एवं 6 में उल्लेखित कार्य माने जावेंगे।
5. रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, वाहन/संपत्ति सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों हेतु सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है।
6. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हों, तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का भी निराकरण कर सकेंगे जो समरी प्रक्रिया के तहत् विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारंट या गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोषी होने के अभिवाक् करने का आवेदन करे, तब ऐसे प्रकरण के अभिलेख पश्चात में मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के अभिलेख पर वापस होगा।
7. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा।
8. कटनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित अपराधों के बारे में धारा 164 दं.प्र.सं. के अधीन अपराधी की संस्वीकृति या साक्षियों के कथन भाग–तीन में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेंगे।
9. समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत खात्मा (**F.R.**) के समस्त प्रकरण संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में पेश किये जायेंगे।
10. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से संपूर्ण जिले में कहीं भी चलित

न्यायालय लगा सकेंगे।

11. कटनी जिले के आरक्षी केन्द्रों से उद्‌भूत खारिज (**E.R.**) के समस्त प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी के समक्ष पेश किये जायेगे।

12. सभी आरक्षी केंद्रों से उद्‌भूत आबकारी अधिनियम के सभी मामले उन्हीं आरक्षी केंद्रों की क्षेत्राधिकारिता के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए जाएंगे।

13. भाग–2, भाग–3 भाग–4 कार्यविभाजन के अंग समझे जायेंगे।

14. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जो कटनी से स्थानान्तरित हो चुके हैं अथवा आगे कार्य विभाजन आदेश पश्चात् स्थानान्तरित होते हैं, और उनका न्यायालय रिक्त होने की दशा में उक्त न्यायालय से संबंधित दाण्डिक रिमाण्ड एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरण, मॉग पत्र एवं अन्य अनुषंगिक कार्यवाहियों का निष्पादन एवं सम्पादन अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निम्मानुसार किया जायेगा :–

क0	अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम	आवश्यक कार्य देखने की अवधि
1	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	जनवरी–फरवरी
2	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	मार्च–अप्रैल
3	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म.प्र.)	मई–जून
4	श्री दिलीप कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म.प्र.)	जुलाई–अगस्त
5	श्री अरूण कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	सितम्बर
6	श्री नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	अक्टूबर
7	सुश्री शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	नवम्बर
8	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	दिसम्बर

(विकास चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी, जिला कटनी

अनुमोदित
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

२५६

न्यायालयः– विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी (म0प्र0)

::: दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश :::

(भाग–2)

कमांक क्यू /सी0जे0एम0/2023 कटनी, दिनांक –08.04.2023

मैं, विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी वर्ष 2023 में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार कॉलम नं. 01 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त हो जाने की स्थिति में कॉलम नं. 02 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति या अवकाश में रहने पर कॉलम नं. 03 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं उनके अवकाश पर रहने पर कॉलम नं.04 मे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्य संपादित करेंगें :–

क	कॉलम नं0–1	कॉलम नं0–2	कॉलम नं0–3	कॉलम नं0–4	कॉलम नं0–5
1	विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी	सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
2	सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
3	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अरूण कुमार गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
4	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अरूण कुमार गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री दिलीप कुमार दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
5	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अरूण कुमार गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री दिलीप कुमार दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
6	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अरूण कुमार गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री दिलीप कुमार दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
7	श्री अरूण कुमार गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री दिलीप कुमार दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती सृष्टि शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
8	श्री दिलीप कुमार दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती सृष्टि शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
9	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अंकिता जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती सृष्टि शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
10	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती सृष्टि शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
11	श्रीमती सृष्टि शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
12	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी

13	श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी बरही	श्री अनुपम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वि.गढ़	श्रीमति संजू तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
14	श्री रमाकांत भारके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ढीमरखेडा	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री दिलीप कुमार दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
15	श्रीमति संजू तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वि.गढ़	श्री अनुपम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वि.गढ	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री दिलीप कुमार दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
16	श्री अनुपम तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वि.गढ़	श्रीमति संजू तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरही	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी

नोटः– 1. पूर्व आदेश निरस्त करते हुये नवीन आदेश जारी जो अनुमोदन दिनांक से प्रभावी होगा।

2. कॉलम 2, 3 एवं 4 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने पर वरिष्ठता कम में वर्णित अन्य उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके आवश्यक कार्य को संपादित करेंगें।

(विकास चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

अनुमोदित
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

न्यायालय :–विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी (म0प्र0)
::: दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश :::
(भाग–3)

क्र./क्यू. /सी0जे0एम0/2023 कटनी, दिनांक–08.04.2023

धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के कथन हेतु

कटनी जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकारिता के आरक्षी केन्द्रों में धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत कथन लेने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है:–

कॉलम नं0–1 में दर्शित आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत कथन कॉलम नं0–2 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट लेंगे कॉलम नं0–2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में कॉलम नं0–3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कॉलम नं0–3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अवकाश पर रहने की दशा मे कॉलम नं0–4 मे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश मे रहते हैं, तो कॉलम नं0–2 में उनके नाम के आगे उपरोक्तानुसार दर्शित किये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट कमानुसार धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत कथन लेंगे:–

क.	कॉलम नं0–1	कॉलम नं0–2	कॉलम नं0–3	कॉलम नं0–4	कॉलम नं0–5
1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्रीमती शीतल बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
2	आरक्षी केन्द्र माधवनगर	सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
3	आरक्षी केन्द्र कुठला	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
4	आरक्षी केन्द्र एन.के.जे.	श्री दिलीप कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
5	आरक्षी केन्द्र बहोरीबंद	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री दिलीप कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
6	आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी.	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
7	आरक्षी केन्द्र बडवारा	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
8	आरक्षी केन्द्र स्लीमनाबाद	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री लालता सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
9	आरक्षी केन्द्र रंगनाथनगर	श्री नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
10	आरक्षी केन्द्र बाकल	श्री दिलीप कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
11	आरक्षी केन्द्र रीठी	श्री नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
12	आरक्षी केन्द्र महिला थाना	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती निधि जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री मुदित लटौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
13	**जिला कटनी के आरक्षी केन्द्र कोतवाली** (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध ही	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अरूण गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री मुदित लटौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी

	हो सकते हैं) से उद्भूत धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत कथन **(विजयराघवगढ़ व ढ़ीमरखेड़ा बरही तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर)**				
14	**जिला कटनी के आरक्षी केन्द्र एन.के. जे., स्लीमनाबाद एवं माधवनगर** (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध ही हो सकते हैं) से उद्भूत धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत कथन **(विजयराघवगढ़ व ढ़ीमरखेड़ा बरही तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर)**	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अरूण गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
15	**आरक्षी केन्द्र कुठला, जी0आर0पी0 एवं अजाक** (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध ही हो सकते हैं) एवं **आरक्षी केंद्र अजाक** से उद्भूत धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत कथन **(विजयराघवगढ़ व ढ़ीमरखेड़ा बरही तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर)**	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री मुदित लटौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
16	**आरक्षी केन्द्र रंगनाथनगर, बडवारा, रीठी, बहोरीबंद, बाकल** (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध ही हो सकते हैं) से उद्भूत धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत कथन **(विजयराघवगढ़ व ढ़ीमरखेड़ा बरही तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर)**	श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री दिलीप कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
17	आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ से उद्भूत धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत के कथन।	श्री अनुपम तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वि.गढ़, कटनी	श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरही कटनी	सुश्री सोनम शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
18	आरक्षी केन्द्र **कैमोर** से उद्भूत धारा 164 द.प्र. स. के अन्तर्गत के कथन।	श्रीमति संजू तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वि.गढ़, कटनी	श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरही कटनी	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी

19	आरक्षी केन्द्र बरही	श्री अनुपम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वि.गढ़, कटनी	श्रीमति संजू तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वि.गढ़, कटनी	श्री दिलीप कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सोनम शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
20	आरक्षी केन्द्र ढीमरखेडा, पानउमरिया	सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती शीतल बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमति निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी

<u>नोटः–</u> कॉलम 2, 3 एवं 4 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने पर अंतिम वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा मे उनके इनचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके कम में उनके आवश्यक कार्य को संपादित करेंगें।

(विकास चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी(म0प्र0)

अनुमोदित
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

कटनी, दिनांक–08.04.2023

पृष्ठांकन क. क्यू/2023

<u>प्रतिलिपि :–</u>

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म0प्र0) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
02. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कटनी (म0प्र0) की ओर सादर प्रेषित।
03. सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
04. श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जिला कटनी (म0प्र0)
05. श्रीमती निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
06. सुश्री सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
07. श्री नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
08. श्री अरूण कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
09. श्री दिलीप कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
10. श्री मुदित लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
11. श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
12. श्रीमती श्रृष्टि दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
13. सुश्री अंकिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
14. श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरही, कटनी (म0प्र0)
15. श्रीमति संजू तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजयराघवगढ़, कटनी (म0प्र0)
16. श्री अनुपम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजयराघवगढ़, कटनी (म0प्र0)
17. श्री रमाकांत भारके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ढीमरखेड़ा, कटनी (म0प्र0)
18. जिला मजिस्ट्रेट, जिला कटनी (म0प्र0), की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
19. पुलिस अधीक्षक, कटनी (म0प्र0), की ओर, समस्त आरक्षी केन्द्र के प्रभारी को दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2022 के संबंध में संसूचित कराया जाने हेतु प्रेषित ।
20. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ कटनी (म0प्र0),
21. अध्यक्ष/सचिव, तहसील अधिवक्ता संघ विजयराघवगढ़/बरही/ढ़ीमरखेड़ा, की ओर सभी अधिवक्तागण को अवगत कराये जाने बावत् सूचनार्थ प्रेषित।
22. लोक अभियोजक/विशेष/अपर लोक अभियोजक कटनी (म0प्र0),
23. जिला अभियोजन अधिकारी कटनी,
24. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कटनी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(विकास चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कटनी(म0प्र0)